



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com

क्रमांक: – सर/कृषि/20/2024-25

दिनांक: –06.04.2025

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला-श्रीगंगानगर (राजस्थान) में रबी 2024-25 में बोई गई गेहूँ, जौ, जई (लगभग 735.8 एकड़) की फसलों की कटाई के बाद तूड़ी (फोडर) बनाने के लिये निविदा दिनांक 19.04.2025 को सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं व उसी दिन सांय 3.15 बजे फार्म समिति की उपस्थिति में निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी, निविदा में भाग लेने से पूर्व रुपये 10000/-प्रतिचक का बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन भूगतान (खाता संख्या 34032829868, IFSC code SBIN0007774) जो कि "ने नल सीड्स कॉर्पोरे न लिमिटेड, सरदारगढ़" के नाम से सूरतगढ़ में देय हो के साथ देनी होगी। टेण्डर फार्म व नियम शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.0 बजे से सांय 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है व टेण्डर फार्म रु.236/- (including 18% GST) नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ आधार कार्ड की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राशनकार्ड अथवा अन्य प्रमाणों की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी, तथा इसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा भुल्क रु.236/- का ड्राफ्ट देना होगा।

नोट: –अपराहन 2.45 बजे के बाद कोई टेण्डर फार्म नहीं दिया जायेगा व 3.00 बजे के बाद कोई भी टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी (उत्पादन)
कृते फार्म प्रमुख
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Copy of Pan Card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card	
Signed copy of Terms and condition	
Copy of Bank Passbook/Cheque	



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsfsg@gmail.com

क्रमांक: – सर./कृषि/20/2024-25

दिनांक: –

तूड़ी बनाने हेतु नियम व शर्तें।

- निविदा में भाग लने के लिए रु0 236/- निविदा जुल्क व रु 10,000 (रु-दस हजार मात्र) प्रत्येकचक के लिए धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे। यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा चक के लिए दरे भरना चाहता है तो एक की बार में संपूर्ण धरोहर राशि (रुपये 10,000 जितने चको की दरे निविदा में भरनी है) ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी तभी ई-निविदा/निविदा प्रपत्र मान्य होंगे। धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- निविदादाताओं को अपने स्थायी पते के साक्ष्य हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर IFSC कोड अंकित हो को संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता द्वारा दी गयी दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से फार्म प्रमुख का होगा।
- निविदा में स्वीकार किये गये क्षेत्र की 50 प्रतिशत रकम कार्यआदेश जारी होने के **तीन दिवस में जमा करानी होगी**। यदि 50 प्रतिशत रकम जमा नहीं की तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि कोई ठेकेदार कार्य भुरु करने से पहले ही ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी अमानत राशि व जमा करवायी गयी 50 प्रतिशत रकम जब्त कर ली जायेगी।
- जौ, गेंहूँ व जई की तूड़ी बनाने का कार्य शुरू करने से पहले आवंटित क्षेत्र की सम्पूर्ण रकम जमा करानी होगी।
- थ्रैसर, मजदूर, ट्रैक्टर-ट्राली आदि सभी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
- कार्य चक इन्चार्ज व उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार करना होगा। फसल का अंकित क्षेत्रफल आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है। यदि कार्य के दौरान फार्म को कोई नुकसान हुआ तो उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी तथा उसकी जमा की गयी सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी।
- तूड़ी बनाने के समय गेंहूँ, जौ व जई का दाना (अनाज) निकलेगा वह फार्म में जमा कराना होगा।
- तूड़ी की ट्राली/ट्रक को बाहर ले जाने से पहले संबंधित चक इन्चार्ज से गेट पास लेना होगा।
- ठेकेदार स्वयं गेटपास पर हस्ताक्षर करे अथवा अपने व्यक्ति को अधिकार पत्र दे जो कि गेट पास पर हस्ताक्षर करे। अधिकार पत्र की प्रतिलिपी फार्म कार्यालय में जमा करे।
- तूड़ी बनाने का कार्य सील्ला चुगाई करने के बाद ही शुरू करना होगा तथा चक **प्रभारी/खण्ड प्रभारी** के बताने पर ही कार्य शुरू करना होगा।
- तूड़ी बनाने व ले जाने का कार्य सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 तक करना होगा। यदि किसी कारणवश कार्य में देरी होती है तब संबंधित चक प्रभारी/ खण्ड प्रभारी/ हडै गार्ड को सूचित करना होगा।
- तूड़ी बनाने का समय कटाई के 15 दिन बाद तक का होगा विशेष परिस्थितियों में तूड़ी बनाने का समय फार्म प्रमुख की अनुमति से 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। उसके उपरांत भी यदि ठेकेदार तूड़ी बनाने का कार्य पुरा नहीं कर पाता है तब फार्म के पास

- अधिकार होगा की वह उस क्षेत्र की तूड़ी का निस्तारण अपने स्तर पर खरीफ फसलों की बिजाई हेतु फिल्ट तैयार कर सके एवम इसमें जो तूड़ी का नुकसान होगा उसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
14. कार्य शुरू करने से पहले ठेकेदार को 500.00 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने खर्चे से खरीद कर, सभी भर्तों को वर्णित कर अपने हस्ताक्षर करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसे सभी शर्तें मान्य हैं तथा इनके अनुसार ही कार्य करेगा।
 15. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
 16. अधरू किया गया कार्य जो बीच में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया हो वह निर्धारित समयावधि (नियम भात सख्या 13 के अनुसार) के उपरांत दूसरे ठेकेदार से करवाया जायेगा तथा इसके बारे में कार्य छोड़े गये ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा साथ में धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
 17. कार्य हेतु किसी भी प्रकार का कर या भुल्क यदि लागू होगा तो ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। फार्म, लागू कर या भुल्क के भुगतान हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
 18. कार्य करने के दौरान यदि ठेकेदार द्वारा फार्म की अन्य सम्पत्ति का कोई नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी तथा तूड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तूड़ी लेने वाले ठेकेदार की होगी। यदि प्राकृतिक आपदा/बारिश से तूड़ी में नुकसान हुआ तो फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।
 19. तूड़ी बनाते समय या ले जाते समय अगर कोई दुर्घटना हो जाये तो उसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।
 20. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ यदि ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
 21. सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
 22. यदि ठेकेदार द्वारा निविदा के नियम भातों की अवहेलना की जाती है या फार्म उत्पादन/पेड़ या अन्य फार्म सम्पदा को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ठेकेदार का कार्य तुरंत प्रभाव से रोक दिया जायेगा, फार्म द्वारा जाँच के उपरांत यदि यह पाया गया कि ठेकेदार या उसके श्रमिक की गलती के कारण फार्म को नुकसान पहुँचा है तो ठेकेदार की धरोहर राशि व जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी व गलती की गंभीरता/ किये गये नुकसान के अनुसार फार्म द्वारा जुर्माना लगाकर काली सूची में डाला जा सकता है।
 23. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्यायक्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

प्रबंधक(उत्पादन)
कृते फार्म प्रमुख

निविदादाता के हस्ताक्षर



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383,25846272,25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsf@gmail.com

क्रमांक: – सर/कृषि/20/2024-25-दिनांक:-

चक न०:-.....

टेण्डर फार्म

रबी 2024-25 में फसलों की तुड़ी बनाने हेतु निविदा प्रपत्र

चक नं.	गेहूँ (एकड़)	जौ (एकड़)	जई (एकड़)	कुल (एकड़)	दर प्रति एकड़ रु० में।		
					गेहूँ	जौ	जई
खण्ड-4							
42पी.बी.एन.	0.0	10.0	82.4	92.4			
43पी.बी.एन.	0.0	0.0	94.4	94.4			
44पी.बी.एन.	0.0	0.0	78.0	78.0			
45पी.बी.एन.	0.0	0.0	74.0	74.0			
46पी.बी.एन.	0.0	0.0	92.0	92.0			
कुल-	0.0	10.0	420.8	430.8			
खण्ड-5							
47पी.बी.एन.	19.0		112.2	131.2			
48पी.बी.एन.	0.0		45.2	45.2			
49पी.बी.एन.	12.8	5.0	110.8	128.6			
52पी.बी.एन.	0.0	0.0	0.0	0.0			
कुल-	31.8	5.0	268.2	305.0			
कुल फार्म क्षेत्र	31.8	15.0	689.0	735.8			

दिनांक: –

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम: –

पिता का नाम: –

गांव व पोस्ट: –

जिला: –

फोन नं.: –

पैन न०:-.....